HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹ 10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई।”

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **बिंवार** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-1268/2014 धारा–302/34 भा0द0सं0** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **डकैती कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **1.राजाबाबू पुत्र स्वामीदीन** निवासी ग्राम छानी खुर्द थाना बिंवार जनपद हमीरपुर **2.कमल काछी पुत्र स्व0 मूलचन्द्र** निवासी ग्राम कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹5,000-5000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

	अभियोजक- एडीजीसी श्री अशोक कुमार शुक्ला		विवेचक- निरी0 एच0डी0 सिंह		पैरोकार- थाना बिंवार का0 प्रेम सिंह